न्यायालय उपखण्डाधिकारी बसेडी

प्रकरण संख्या 02/20

1. रामअवतार पुत्र रामदयाल गिरि जाति गुसाई निवासी कोटरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर

....**प्रार्थी**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसेडी बहैसियत लैण्ड होल्डर।

....**अप्रार्थी**

पीठासीन अधिकारी प्यारेलाल सौठवाल आर.ए.एस.

वकील प्रार्थी – श्री राजवीरसिंह परमार एडवोकेट

वकील अप्रार्थी – पैरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक 29.01.2021**

हस्तगत प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थी रामअवतार पुत्र रामदयालगिरि जाति गुसाई निवासी कोटरा तहसील बसेडी जिला धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भूराजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी आराजी हाल ख0न0 1074 रकवा 0.45, ख0न0 1075 रकवा 0.18, ख0न0 1076 रकवा 0.37,ख0न0 1086 रकवा 0. 30 ,ख0न0 1092 रकवा 0.62 है0 पुराने सेग्रीगेसन के पूर्व ख0न0 1099 रकवा 0.45, ख0न01100 रकवा 0.18, 1101 रकवा 0.37, 1111 रकवा 0.39, ख0न0 1117 रकवा 0.62 है0 कुल किता 5 कुल रकवा 2.01 है0 बाके ग्राम कोटरा में बन्दोवस्त कर्मचारियों द्वारा मिसिल तैयार करते समय प्रार्थी का नाम छोड़ दिया है व् उसके भाईयों का नाम सही अमल में आ गया । जो कि भूलवश बन्दोवस्त कर्मचारियों की गलती से गलत हुआ है। प्रार्थी द्वारा जब हाल जमाबन्दी को पटवारी हल्का से मिलान करवाया तो पता चला कि प्रार्थी का नाम हाल जमाबन्दी में नही आया है । बन्दोवस्त कर्मचारियों को किसी एन्ट्री को छोडने व जोडने का कोई अधिकार हासिल नही है। प्रार्थीगण आज भी अपनी आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थीगण हाल जमाबन्दी में अपना नाम चढवाने का पूर्ण अधिकारी है । प्रार्थीगण का नाम जो कि बन्दोवस्त मिसिल व हाल जमाबन्दी में आने से रह गया है । उसके हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 में अमल कराये जाने के आदेश प्रदान दुरस्ती कराई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
बसेडी (धौलपुर) राज.

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया । तहसीलदार बसेडी (राजकीय पैरोकार) ने दिनांक 04.01.2021 को जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि ख0न0 1074 रकवा 0.45, ख0न0 1075 रकवा 0.18, ख0न0 1076 रकवा 0.37,ख0न0 1086 रकवा 0.30 ,ख0न0 1092 रकवा 0.62 है0 स्थित ग्राम कोटरा में नवीन बन्दोवस्ती में प्रार्थी का नाम छूट गया जिसे जोडा जाना उचित है।

मेरे द्वारा उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों में नकल जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 , 2056–2060 , 2005 –2025 मिलान क्षेत्रफल, का अवलोकन किया गया।

अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी रामअवतार पुत्र रामदयालगिरि का नाम बन्दोवस्त से पूर्व दर्ज है लेकिन दौराने बन्दोवस्त प्रार्थी का नाम सहवन से छूट गया है । जो लिपकीय भूल है जिसे मेरी राय में शुद्व किया जाना उचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बसेडी को आदेश दिया जाता है कि आराजी ख0न0 1074 रकवा 0.45, ख0न0 1075 रकवा 0.18, ख0न0 1076 रकवा 0.37,ख0न0 1086 रकवा 0.30 ,ख0न0 1092 रकवा 0.62 है0 स्थित ग्राम कोटरा में जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 में प्रार्थी का नाम रामअवतार पुत्र रामदयालगिरि अंकित किया जावे। तद्नुसार रिकार्ड में अमल किया जावे।

आज दिनांक 29.01.2021 को यह फैंसला मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया

उपखण्डाधिकारी
बसेडी